151

(1)

18-12-20
08-01-21
22-01-21
05-02-21
19-02-21
05-03-21
19-03-21
04-04-21
30-04-21
23-05-21 Order

CLOSED 23-05-21

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या ......151/20-21........

धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस

राजु राय वगै. बनाम परन राय वगै.

स्थानीय पुलिस थानाः *डुमरी* से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि

उभय पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा-झंझट, गाली-गलौज होते रहता है, जिससे काफी तनाव है फलस्वरूप जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक ....18..../...12........../2020......... को कारण-पृच्छा की मांग की जाती हैं कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु ५०००/- रूपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष

१ राजु राय	उम्र : 45 वर्ष	पिता : स्व० जोधन राय
२ अजय कुमार राय	उम्र : 30 वर्ष	पिता : राजु राय

सभी ग्रामः नारायणपुर, थानाः डुमरी, जिलाः गिरिडीह।

– बनाम –

द्वितीय पक्ष –

१ परन राय	उम्र : 30 वर्ष	पिता : बन्धन राय
२ बाले राय	उम्र : 32 वर्ष	पिता : परन राय
३ मुकेश राय	उम्र : 26 वर्ष	पिता : परन राय
४ विनोद राय	उम्र : 35 वर्ष	पिता : परन राय
५ सीताराम राय	उम्र : 34 वर्ष	पिता : महादेव राय
६ रामु राय	उम्र : 25 वर्ष	पिता : महादेव राय
७ पप्पु राय	उम्र : 40 वर्ष	पिता : रघु राय
८ शिव राय	उम्र : 25 वर्ष	पिता : बाबुलाल राय
९ मिथुन राय	उम्र : 35 वर्ष	पिता : बुधन राय
१० विरेन्द्र राय	उम्र : 40 वर्ष	पिता : शुकर राय

सभी ग्रामः नारायणपुर, थानाः डुमरी, जिलाः गिरिडीह।

लेखापित

24.11.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

24.11.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

18.12.20 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दि० 08.01.21 को उपस्थापित करें।

अनु० द०प्र०
डुमरी।

Scanned with CamScanner

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 151/2020-21

राजु राय वगै. -बनाम- परन राय वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 107)

क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
24-05-2021	अभिलेख उपस्थापित। डुमरी थाना अप्राथमिकी संख्या 72/2020 दिनांक 13.11.2020 द्वारा उभय पक्षों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष उपस्थित रहे। डुमरी थाना से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष आपस में गोतिया है। उभय पक्षों के बीच पुश्तैनी जमीन का बंटवारे को लेकर आपस में जाति-समाज को लेकर बैठक कर फैसला किया जा रहा था इसी बीच उभय पक्षों के बीच आपस में टकराव हो गया जिसके कारण उभय पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया। कारणपृच्छा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा अपने भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा था एवं निर्माण कार्य निन्टल स्तर तक पहुँच गया था। इसी बीच द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन मकान का दिवाल को गिरा दिया गया। इसी को लेकर उभय पक्षों के बीच दिनांक 08.11.20 को स्थानीय स्तर पर फैसला किया जा रहा था कि पुनः द्वितीय पक्ष के द्वारा पंचायत के बातों को न मानकर प्रथम पक्ष के सदस्यों के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज किए जिसको लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा डुमरी थाना में आवेदन समर्पित कर न्याय का गुहार लगाया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। डुमरी थाना से वर्तमान में उभय पक्षों के बीच परिशांति भंग होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है। अतः उभय पक्षों के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/-रू. के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में कार्यवाही अवधि की अंतिम तिथि है अतएव कालअवधि बाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 24.05.2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी। 24.05.2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।	

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2021.09.11 12:31:24 +05:30
Location: 192.168.241.8

Scanned with CamScanner